

संख्या-पी-247/81-2-2022-800(244)/2022

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई 2022
विषय- जनपद अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड
हापुड वन में 0.00 हे० संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के
निर्माण हेतु 0.07 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवाणिज्यिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों तथा गैर वनभूमि पर स्थित
12 वृक्ष अर्थात् कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-
एफपी/यूपी/ट्रांस/148929/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-124/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/148929/2021 दिनांक 12.07.2022
का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्नानुसार
कमियों का निराकरण कर आख्या/अभिलेख अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट
करें :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-70 पर रक्षित एफ०आर०ए० पर जिलाधिकारी की मोहर नहीं है। साथ ही
साथ प्रभागीय वनाधिकारी भी हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित
फॉर्मों के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी का हस्ताक्षर नियमानुसार नहीं है।
2. प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि संलग्न अधिसूचना में चिन्हित नहीं है।
3. प्रस्ताव पूर्णतः वन्यजीव विहार क्षेत्र में है। वृक्षों का पातन निहित है। ऐसी स्थिति में
वन्यजीव अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है ?
4. क्या प्रस्तावित परियोजना वन (संरक्षण) रूल्स-2022 के अनुसार परीक्षण किया गया है ?
5. परियोजना में बाधक निजी वृक्षों के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख संलग्न है ?

भवदीय,

Signed by राम प्रकाश सिंह

Date: 19-07-2022 15:53:32

Rishabh Singh

अनु सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-257/11सी- FP/UP/TRANS/148929/2021 दिनांक, लखनऊ, जुलाई 21, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त
बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा
बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम
से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-अमरोहा, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि०,
अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।